फर्द अहकाम

न्यायालय : सेशन न्यायाधीष, फलोदी

सेशन प्रकरण संख्या– 496/2026 सरकार बनाम अनिल वगैरा

राजुसिंह वगैरा बनाम राजस्थान राज्य

फौ. वि. प्रार्थना–पत्र संख्याः 530/2026

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
07-08-2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण राजूसिंह व विश्नाराम की ओर से अधिवक्ता भुपेंद्र कुमार भार्गव उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मजदूरी करने के लिए राज्य से बाहर गये हुवे थे, जिस कारण वे अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाये, न ही न्यायालय द्वारा नियत पेशी पर उपस्थित हो पाये। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बालेसर से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त रहने की जानकारी उन्हें नहीं रहने से वे नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, जिस कारण उनके जमानत मुचलके जब्त किये जाकर गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये गये हैं। इस प्रकार अभियुक्तगण सद्भावी कारणों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके हैं, तब अभियुक्तगण के साथ सहानुभूति रखते हुए, उन्हें जमानत का लाभ दिया जावें। अभिलेख के परिशीलन से प्रकट तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर अभियुक्तगण **1. राजूसिंह पुत्र धनसिंह, निवासी बिगमी नेवरा रोड, पुलिस थाना औसियां, जिला जोधपुर, 2. विश्नाराम पुत्र खेताराम, निवासी शिवपुरी लोहावट, जिला फलोदी** को इन शर्त पर जमानत का लाभ दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्तगण **1,50,000/– रुपये** का स्वयं का बंधपत्र एवं **75,000–75,000/– रुपये** का समाधानप्रद व संतोषप्रद प्रतिभू प्रस्तुत कर यह बंधपत्र निष्पादित करे कि वे न्यायालय में आगामी नियत तिथियों पर उपस्थित रहेंगे तथा जहां अपरिहार्य परिस्थिति में वह उपस्थित नहीं हो सके, तब अपने अधिवक्ता अपने निवास/अधिवास स्थान को सूचित करते हुए न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर हाजरी माफी समाधानप्रद पेश करेंगे, न्यायालय में उपस्थिति के संबंध में समाधानप्रद कारण नहीं रहने पर अभियुक्तगण को दिया गया जमानत का यह लाभ स्वतः निरस्त समझा जाये। प्रार्थना–पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल पत्रावली रहे। **(चक्रवर्ती महेचा)** सेशन न्यायाधीश फलोदी	